समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 138/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 20-06-2015 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक 24-07-2015 से 27-07-2015 तक 10:00 बजे पूर्वा0 से 5:00 बजे अप0 संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने-अपने शस्त्र, शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं गोली(कारतूस) का भौतिक सत्यापन कराने का निदेश दिया गया था एवं इसके लिए दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना भी जारी की गई थी। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित तिथि को शस्त्र/ शस्त्र अनुज्ञप्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करवा सके, उनके लिए एक अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1186/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 02-09-2015 के द्वारा दिनांक 07-09-2013 से 13-09-2015 तक के बीच भौतिक सत्यापन कराये जाने की तिथि निर्धारित करते हुए निदेश निर्गत किया गया। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से प्राप्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि नीचे वर्णित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने के वावजूद शस्त्र क्रय कर अपने अनुज्ञप्ति पुस्त/ पंजी में दर्ज नहीं कराया गया है। कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी से मिलान करने पर पाया गया कि शस्त्र क्रय कर उपस्थापन करने की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त आगे अवधि विस्तार के लिए आवेदन नहीं दिया गया है और न ही शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराया गया है। इसके लिए सभी अनुज्ञप्तिधारियों के नाम से अलग-अलग शस्त्र क्रय नहीं किए जाने के संबंध में सकारण उत्तर दिनांक 30-09-2015 से पूर्व समर्पित करने हेतु सूचित किया गया। लेकिन इन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद स्वीकृत अनुज्ञप्ति के विरुद्ध शस्त्र नहीं खरीदना एवं उनका नवीकरण नहीं कराना यह स्पष्ट करता है कि इनको शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं रह गई है और इस प्रकार बिना शस्त्र के अनुज्ञप्ति रखा जाना महत्त्वहीन है।

यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का भी उल्लंघन है।

क्र0	अनुज्ञप्तिधारी का नाम/ पता	अनु0 सं0/वर्ष	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत
01.	मो0 अरसद पे0 स्व0 एस0एम0अब्दुल जब्बार, सा0 मधेपुरा, थाना+जिला मधेपुरा	12/82 मधेपुरा थाना	एन0पी0बोर रायफल	1997
02.	श्री देवेन्द्र प्रसाद शाही पे0 श्री वीरेन्द्र प्रसाद शाही, सा0 बासुदेवा पो0 बासुदेवा थाना+जिला मधेपुरा	01/85 मधेपुरा थाना	एन0पी0बोर रायफल	1986
03.	श्री नवल किशोर सिंह पे0 श्री रामबल्लभ सिंह सा0 मधेपुरा, थाना+जिला मधेपुरा	02/88 मधेपुरा थाना	दो नाली बन्दुक	–
04.	मो0 नईमउल्लाह पिता स्व0 मो0 एए0ए0समद सा0 02 गुलाबवाग, पारडीह, मानगो, जमशेदपुर	01/2009 मधेपुरा थाना	एन0पी0बोर रिवाल्वर	2011
05.	मो0 फरीदउद्दीन खाँ, पे0 स्व0 कुतुब खाँ, सा0 02 गुलाबवाग पारडीह मानगो जमशेदपुर	02/2009 मधेपुरा थाना	एन0पी0बोर रिवाल्वर	2011
06.	श्री नवल किशोर यादव पे0 श्री लक्ष्मण प्र0 यादव, तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदा0, मधेपुरा, सम्प्रति जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका	01/2011 मधेपुरा थाना	एन0पी0बोर रिवाल्वर	2013
07.	मो0 इमरान पे0 मो0 जहीर सा0 बहादुरगंज लहेरियासराय, दरभंगा	02/2012 मधेपुरा थाना	एन0पी0बोर पिस्टल	2014
08.	श्री परमानन्द सोभानी पे0 लक्ष्मीचन्द्र सोभानी सा0 मुरलीगंज जिला मधेपुरा	02/81 मुरलीगंज थाना	दो नाली बन्दुक	1981
09.	श्री शिव ना0 यादव पे0 स्व0 छोटे लाल यादव, सा0 जीतापुर चामगढ़ थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा	02/86 मुरलीगंज थाना	दो नाली बन्दुक	–
10.	श्री विवेकानन्द पे0 बिनोदानन्द शर्मा सा0 पैरब मंडल टोला थाना बरियारपुर जिला मुंगेर	15ए0/98 अररिया थाना	एन0पी0बोर रायफल	2004

11.	मो0 शाकीर जमाल पे0 स्व0 अब्दुल बदाल सा0 सुल्तानगंज, थाना+जिला पटना	622/128/2002 जहानाबाद थाना	एन0पी0बोर रायफल	2006
12.	श्री अवधेश कुमार सा0 बालाटोल पो0 नया टोला थाना आलमनगर जिला मधेपुरा प्लानिंग अस्टिेट दिल्ली विकास प्राधिकार सी./ओ0 आर.पी.यादव, एम.पी. 26 नोर्थ ऐरिया नई दिल्ली–1	02/82	एन0पी0बोर रायफल	1982
13.	श्री अमर कुमार पासवान पे0 श्री महादेव राम सा0 केलगा थाना बसिया जिला गुमला	01/89 आलमनगर थाना	दो नाली बन्दुक	1989

अतएव शस्त्र अधिनियम–1959 की धारा–17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त–9(ए) का उल्लंघन मानते हुए उपर्युक्त तालिका में दर्ज सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम–1959 की धारा–21 के तहत् आदेश दिया जाता है कि वे अपना–अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त कार्यालय में जमा करने पर संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" अंकित करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 377 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 15-10-2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।